69 (16) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निदेशक बोर्ड स्तर की नियुक्तियों के लिए निर्धारित आयु

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 3.2.1999 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन और दिनांक 22.8.2001 ज्ञा.सं. 18(10)/99–जी एम – जीएल–33 का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें सरकार का यह निर्णय है कि सहकारी उद्यमों में निदेशक बोर्ड स्तरीय नियुक्तियों के लिए सरकारी उद्यम चयन बोर्ड द्वारा साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की आयु 58 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए जहां सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है और उन मामलों में जहां सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है वहां उनकी आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2. सरकार ने मामले पर पुनः विचार किया है और उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में निम्नानुसार आशोधन का निर्णय लिया हैः–

(i) सरकारी उद्यमों में निदेशक बोर्ड स्तर के पदों पर बाह्य उम्मीदवारों को लेने पर विचार करने के लिए उनका कार्यकाल सरकारी क्षेत्र के उद्यम, जिसके लिए उम्मीदवार पर विचार किया जा रहा है, में लागू अधिवर्षिता की आयु के संदर्भ में न्यूनतम तीन वर्ष की शेष सेवा (रिक्ति होने की तारीख को) होनी चाहिए; और

(ii) आंतरिक उम्मीदवारों के लिए शेष सेवा काल की शर्त दो वर्ष रहेगी।

3. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से मार्गदर्शन और आवश्यक कार्रवाई के लिए उपर्युक्त निर्णय नोट करने का अनुरोध किया जाता है।

(लो.उ.वि. का 20 अक्तूबर, 2005 का का.ज्ञा. सं. 18(6)/98–जी एम–जीएल–72)